न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०सं० 69/20 ता० रजु. 6-1-20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 14-1-2020

सरकार

बनाम

डालचन्द पुत्र मन्नी धाकड़ ब्रह्मबाद तह० बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का ब्रह्मबाद ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम ब्रह्मबाद के खसरा न० 399 रकबा 0.49 हैक्ट में से रकबा 0.04 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री डालचन्द पुत्र मन्नी धाकड़ ब्रह्मबाद तह० बयाना ने गेहूं कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित अतः अतिक्रमी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 399 रकबा 0.04 हैक्ट वाके ग्राम ब्रह्मबाद से बेदखल किया जाता है। लगान 0.64 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 32/= रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14-1-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० 3/2/20 15
32/- 20

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Girraj Prasad Bansal
Date: 2022.02.04 11:45:28 IST
Reason: SelfAttested